लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3634

8 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

तेलंगाना में नए इस्पात संयंत्र

3634. प्रो. ए. एस. आर. नायक:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तेलंगाना राज्य में किसी इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ग) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की तेरहवीं अनुसूची के अनुसार सेल को तेलंगाना के खम्मम जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की व्यवहार्यता की जॉच नियत तिथि अर्थात 02.06.2014 से छः माह के भीतर करनी थी। सेल द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट दिनांक 02.12.2014 को प्रस्तुत कर दी गई थी। इस प्रकार, सेल ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार स्वयं को सौपा गया कार्य पूरा कर लिया हैं। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इस्पात संयंत्र की स्थापना वित्तीय दृष्टि से प्रथम दृष्टतया व्यवहार्य नही है। तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर परियोजना को वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकार, सेल, आरआईएनएल तथा एनएमडीसी के प्रतिनिधियों वाला एक कृतक बल दिनांक 06.02.2015 को गठित किया था। लोह अयस्क रिजर्व के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए तेलंगाना सरकार और जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जी एस आई) के बीच एक एमओयू दिनांक 14.03.2016 को हस्ताक्षरित किया गया है। अन्य के साथ-साथ इस्पात संयंत्र की व्यवहार्यता जीएसाआई रिपोर्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करती है।

***